

# कार्यालय नगर पालिका परिषद, बहराइच।

पत्रांक: 402/रा0वि0आ0-पा0नि0/नि0कार्य/ई-टेण्डर/2025-26

दिनांक: 15 जुलाई, 2025

## पुनः अल्पकालिक ई-निविदा सूचना

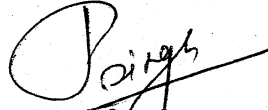
रा0वि0आ0/पा0नि0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर पालिका परिषद, बहराइच के स्वीकृत निर्माण कार्यों में से रु0 10.00 लाख से अधिक लागत के निम्नलिखित 01 निर्माण कार्य की जी0एस0टी0 रहित पुनः अल्पकालिक आनलाइन निविदायें ई-टेण्डर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 23 जुलाई, 2025 को अपरान्ह 2:30 बजे से दिनांक 07 अगस्त, 2025 को अपरान्ह 3:30 बजे तक निर्माण कार्यों के लिए वर्ष 2025-26 में नगर पालिका परिषद, बहराइच के साथ-साथ अन्य विभागों में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से प्रतिशत दर के आधार पर निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। उक्त अवधि में ही ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें ई-टेण्डर पोर्टल <http://etender-up-nic-in> पर डाउनलोड करके अपलोड की जा सकती हैं। कार्य की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से नगर पालिका परिषद, बहराइच के इण्डियन बैंक, शाखा डिगिहा स्थित खाता संख्या-50383894033 IFSC Code-IDIB000C601 में अनलाइन जमा की जायेगी अथवा एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0/सी0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बहराइच के पदनाम से बन्धक हो भी स्वीकार किये जायेंगे। निविदा मूल्य आनलाइन ही जमा करना होगा। आनलाइन अपलोड की गयी निविदा से सम्बन्धित अभिलेखों (जैसे जमानत धनराशि/निविदा मूल्य जमा रसीद (बैंक स्टेटमेन्ट), हैसियत/चरित्र प्रमाण-पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र इत्यादि) को ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 07 अगस्त, 2025 को अपरान्ह 04:00 बजे आनलाइन खोली जायेगी। अपलोड की गयी ई-निविदाओं में से किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार मा0 अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, बहराइच को होगा। तकनीकी बिड में अर्ह पाये जाने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदायें आनलाइन ई-टेण्डर पोर्टल पर खोलने हेतु अपलोड की जायेंगी। सम्बन्धित निविदा सूचना नगर पालिका परिषद, बहराइच की वेब साइट [www.bahraichnpp.in](http://www.bahraichnpp.in) पर उपलब्ध है। कार्य का विवरण, अनुमानित लागत, धरोहर धनराशि/जमानत धनराशि, निविदा मूल्य सहित विवरण निम्नवत् है :-

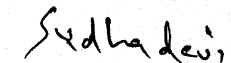
| क्र0सं0 | कार्य का नाम                                                                                            | अनुमानित लागत (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रहित) | बी0ओ0क्यू0 की धनराशि | 10 प्रतिशत धरोहर/जमानत धनराशि | निविदा मूल्य | 18 GST % | ई-टेण्डरिंग शुल्क | निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1       | 2                                                                                                       | 3                                         | 4                    | 5                             | 6            | 7        | 8                 | 9                           | 10                       |
| 1       | रोटरी चौराहे से पायनियर मान्टेसरी स्कूल के आगे तक बी0सी0 के साथ मार्ग के चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण कार्य। | 3324341.00                                | 3324340.92           | 332434.00                     | 3324.00      | 598.00   | 250.00            | 4172.00                     | 02 माह                   |

### नियम व शर्तें-

- ई-निविदादाता द्वारा उक्त कार्य की धरोहर धनराशि/जमानत धनराशि नगर पालिका परिषद बहराइच के इण्डियन बैंक शाखा डिगिहा स्थित खाता संख्या 50383894033 IFSC Code IDIB000C601 में आर0टी0जी0एस0 नेफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा अथवा एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जमा करके जमा रसीद/यू0टी0आर0 नम्बर ई-निविदा पोर्टल पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। निविदा मूल्य आनलाइन ही जमा करना होगा।
- ई-निविदादाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (जो निर्धारित समयावधि के अन्दर का हो) एवं निर्माण कार्यों हेतु किसी भी विभाग में फर्म के पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0, पैन कार्ड, श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र तथा रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित शपथ पत्र ई-टेण्डर पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा मूल शपथ पत्र एवं आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट की मूल जमा रसीद कार्यालय में जमा करना होगा।
- समस्त निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ही स्वीकार की जायेंगी, अन्य किसी माध्यम से कोई भी निविदा स्वीकार नहीं होगी।
- निविदादाता को 10 प्रतिशत जमानत धनराशि आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा अथवा एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0/सी0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बहराइच के पक्ष में बन्धक हो, भी स्वीकार किये जायेंगे। किन्तु निविदा मूल्य की धनराशि पालिका के उक्त वर्णित बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। अन्य किसी के बैंक खाते से जमा की गयी धनराशि मान्य नहीं होगी।
- ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 में एवं श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम निविदादाता (नगर पालिका परिषद, बहराइच के पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को छोड़कर) को अनुबन्ध से पूर्व नगर पालिका परिषद, बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा तदोपरान्त नियमानुसार कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- स्थल पर कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की जांच ठेकेदार को अपने खर्च पर स्वयं करानी होगी।
- निविदा की धनराशि में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है, जिसका भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- उक्त कार्य हेतु कम से कम तीन निविदायें समस्त औपचारिकताओं सहित आनलाइन प्राप्त होने पर ही न्यूनतम निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

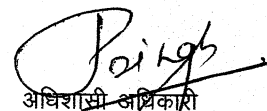
10. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
11. निविदा की विस्तृत जानकारी नगर पालिका परिषद, बहराइच के निर्माण अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
12. किसी भी पंजीकृत ठेकेदार का ठेका स्वीकृत होने/कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् यदि कभी भी संज्ञान में आता है कि सम्बंधित किसी भी अभिलेख (प्रमाण-पत्रों)/नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह था अथवा सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामयिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो ऐसी दशा में प्रदान किया गया अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
13. नगर पालिका परिषद, बहराइच में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों को छोड़कर निविदा में भाग लेने वाले अन्य विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को निर्माण कार्य के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभव प्रमाण-पत्र भी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
14. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित कार्य का न्यूनतम 05 वर्षों का अनुभव होना चाहिए जिसका प्रमाण निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
15. कार्य स्थल से 50 कि०मी० की परिधि के अन्दर स्थापित हॉट मिक्स प्लांट/बैच मिक्स प्लांट एवं मकैनिकल मिक्स प्लांट के स्वामित्व का प्रमाण अथवा किसी अन्य स्वामित्व वाले व्यक्ति से लीज पर कार्य के समय देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा/साथ ही लीज पर देने वाले उल्लिखित प्लांट के स्वामित्व का प्रमाण पत्र भी देना होगा।
16. ऐसे राज्यपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जो राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की सेवा से 02 साल सेवानिवृत्त के पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवा निवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य कराते हुए पाये जायेंगे तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
17. पालिका अधिकारी, अध्यक्ष, सभासद के प्रथम ब्लड रिलेशन एवं उनके स्पाउसेस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
18. निविदादाता को रु० 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ-पत्र के माध्यम से यह प्रमाण देना होगा कि निविदादाता के विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा नहीं है और न ही निविदादाता बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है।
19. स्थलीय सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी पायी जाती है तो सम्बंधित ठेकेदार/फर्म द्वारा तत्काल कार्य को मानक के अनुरूप निर्देशानुसार तत्काल ठीक कराना होगा अन्यथा कराये गये कार्य का कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
20. प्राप्त किसी भी ई-निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। इस सम्बंध में किसी भी ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नहीं होगा। निविदा मूल्य नान रिफण्डेबल है।
21. उक्त निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत आगणन के अनुसार ही स्थल पर मानक के अनुरूप गुणवत्ता परक कार्य निविदादाता को कराना होगा।
22. कराये गये कार्य में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूट-फूट होती है, तो निर्माण कार्य के पूर्णतः की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
23. तकनीकी बिड में अर्ह पायी गयी निविदाओं की ही वित्तीय निविदायें आनलाइन ई-टेंडर पोर्टल पर खोली जायेंगी।
24. प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-5 उ०प्र० शासन लखनऊ के पत्र सं०-24वीआई०पी०(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013 दिनांक 24.08.2017 के प्रस्तर-2 में दिये गये आदेश के अनुपालन में निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष का अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की होगी। शासनादेश सं०-11593/नौ-5-2021-142 सा/2021 दिनांक 07 जनवरी, 2022 में निहित निर्देशों के अनुसार परफारमेन्स गारन्टी के रूप में 05 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के सुचित रख-रखाव होने की दशा में परफारमेन्स गारन्टी के रूप में रोकी गयी धनराशि की भुगतान की जायेगी।
25. उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
26. यदि उक्त तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदा खोलने की कार्यवाही अगले कार्य दिवस में की जायेगी।

  
(प्रमिता सिंह)  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
बहराइच।

  
(सुधा देवी)  
अध्यक्ष  
नगरपालिका परिषद  
बहराइच।

पृ०सं० एवं दिनांक-उपरोक्त  
प्रतिलिपि-

- 1- जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अपर जिलाधिकारी (वि/रा०)/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, बहराइच को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- नगर पालिका परिषद बहराइच के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
बहराइच।